बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पटना, दिनांक :- 13/02/2018

पत्रांक:- 353896 в*J-566/1/2018-SECTION4-BRDS*

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय:- मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के केस रिकॉर्ड / कार्य फाईल के रख-रखाव एवं

दस्तावेजों के संधारण के संबंध में ।

प्रसंगः 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं J-11017/6/2016-MGNREGA-

VII (Part) दिनांक 29.07.2017

महाशय,

मनरेगा अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार योजनांतर्गत कार्यान्वित प्रत्येक कार्य के लिये एक केस रिकॉर्ड / कार्य फाईल तैयार करना तथा उसमें उक्त कार्य संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों एवं दस्तावेजों के संधारण करना अनिवार्य है । केस रिकॉर्ड / कार्य फाईल के रख-रखाव एवं दस्तावेजों के संधारण में एकरुपता लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा एक सांकेतिक फ्रेमवर्क निर्गत किया गया है ।

उक्त के आलोक में केस रिकॉर्ड / कार्य फाईल के रख-रखाव एवं दस्तावेजों के संधारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न किया गया है । अनुरोध है कि निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार मनरेगा के प्रत्येक योजना हेतु एक केस रिकॉर्ड तैयार करते हुये दस्तावेजों का संधारण सुनिश्चित कराया जाय ।


अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

05.02



बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग



महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत

केस रिकॉर्ड / कार्य फाईल

के संधारण से संबंधित मागदर्शिका

	विषय वस्तु							
क्र.सं.	विषय	पृष्ट सं0						
1	परिचय	1						
2	केस रिकॉर्ड / कार्य फ़ाइल की मानक सामग्री	1						
2.1	केस रिकॉर्ड / कार्य फ़ाइल के दस्तावेजों की मानक सूची							
2.2	कभर पृष्ठ	2						
2.3	दस्तावेजों का चेकलिस्ट	2						
2.4	वार्षिक कार्य योजना / शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट	2						
2.5	तकनीकी प्राक्कलन एवं डिजाइन	3						
2.6	तकनीकी स्वीकृति	3						
2.7	प्रशासनिक स्वीकृति	4						
2.8	अभिसरण विवरण	4						
2.9	काम की मांग	5						
2.10	कार्य आवंटन	5						
2.11	filled e-Muster Rolls	5						
2.12	मापी पुस्तिका	5						
2.13	सामग्री अधिप्राप्ति का दस्तावेज़ एवं उपयोग	6						
2.14	Wage list	6						
2.15	मजद्री / सामग्री भुगतान से संबंधित आदेश	6						
2.16	मजद्री और सामग्री भुगतान से संबंधित FTOs	6						
2.17	सामग्री वाउचर और बिल	6						
2.18	भुगतान की गई रॉयल्टी	7						
2.19	तीन चरणों में कार्य का फोटोग्राफ (कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य	7						
	समाप्ति के उपरांत							
2.20	कार्य समापन प्रमाण पत्र	7						
2.21	Muster Roll Movement पर्ची	7						
2.22	कार्य का Geo-tagged photograph	8						
2.23	सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन	8						
2.24	विलम्ब क्षतिपूर्ति भुगतान से संबंधित FTOs	8						
2.25	केस रिकॉर्ड / कार्य फ़ाइल के संधारण का दायित्व	8						
2.26	केस रिकॉर्ड के संधारण हेतु व्यय की राशि	8						

1. परिचय

मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित प्रत्येक योजना / कार्य के लिए एक भौतिक संचिका तैयार किया जाता है जिसमें सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्डों को क्रमवार तरीके से संधारित किया जाता है । इस भौतिक संचिका को मनरेगा अंतर्गत केस रिकार्ड अथवा कार्य फ़ाइल कहा जाता है जो कार्य के दौरान अथवा समाप्ति के उपरांत कार्य की समीक्षा, निगरानी एवं लेखा (audit) के समय सहायता प्रदान करता है ।

वर्तमान में, पंचायतों द्वारा भिन्न-भिन्न तरीकों से केस रिकॉर्ड तैयार कर दस्तावेजों का संधारन किया जा रहा है जिससे समीक्षा/ जाँच/ लेखा (audit) के समय पदाधिकारियों/auditors को असहजता होती है तथा साथ ही संबंधित मनरेगा कर्मी भी संदेह की स्थिति में होते है कि कौन सा दस्तावेज किस फॉर्मेट में संधारित करना अनिवार्य है । इस कारण सभी पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत केस रिकार्ड अथवा कार्य फ़ाइल तैयार करने एवं दस्तावेजों के संधारण में एकरूपता लाने की आवश्यकता है । इस हेतु केस रिकॉर्ड का संकेतकारी ढांचा डिजाइन किया गया है जिसका बिन्दुवार विश्लेषण निम्नवत है:-

2. केस रिकॉर्ड / कार्य फ़ाइल की मानक सामग्री

2.1 केस रिकॉर्ड / कार्य फ़ाइल के दस्तावेजों की मानक सूची

क्र.सं.	दस्तावेजों की सूची
1.	दस्तावेजों का चेकलिस्ट
2.	वार्षिक कार्य योजना / शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट की प्रति
3.	तकनीकी प्राक्कलन एवं डिजाइन की प्रति
4.	तकनीकी स्वीकृति
5.	प्रशासनिक स्वीकृति
6.	अभिसरण की राशि, यदि कोई हो
7.	काम की मांग का प्रपत्र
8.	कार्य आवंटन का प्रपत्र
9.	filled e-Muster Rolls की प्रति
10.	मापी पुस्तिका की प्रति
11.	सामग्री अधिप्राप्ति का दस्तावेज़ एवं उपयोग
12.	Wage list की प्रति
13.	मजदूरी / सामग्री भुगतान से संबंधित आदेश
14.	मजदूरी और सामग्री भुगतान से संबंधित FTOs की प्रतियां
15.	सामग्री वाउचर और बिल
16.	रॉयल्टी भुगतान की प्राप्ति की प्रतियां

17.	तीन चरणों में कार्य का फोटोग्राफ (कार्य प्रारम्भ के पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य
	समाप्ति के उपरांत
18.	कार्य समापन प्रमाण पत्र
19.	Muster Roll Movement पर्ची
20.	कार्य का Geo-tagged photograph
21.	सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति
22.	विलम्ब क्षतिपूर्ति भुगतान से संबंधित FTOs की प्रतियां

उपर अंकित दस्तावेजों के अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो जिला/प्रखंड द्वारा अन्य विशिष्ट दस्तावेजों को भी केस फाईल में संलग्न किया जा सकता है । केस फाईल सामान्य हिन्दी भाषा में तैयार किया जायेगा ताकि आम नागरिक इसे समझ सकें ।

2.2 कभर पृष्ठ

केस रिकार्ड / कार्य फ़ाइल का कभर पृष्ट हार्ड पेपर से बना हुआ होना चाहिये जिसके अंदर अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित संधारित किया जा सके । कभर पृष्ट पर योजना / कार्य के विषय में संक्षिप्त सूचनायें अंकित होनी चाहिये जिससे फ़ाइल को खोले बिना ही योजना संबंधी सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की जा सके । कभर पृष्ट का फ़ॉर्मेट तैयार कर अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न किया गया है ।

2.3 दस्तावेजों का चेकलिस्ट

चेकिलिस्ट किसी भी केस रिकॉर्ड का पहला दस्तावेज होगा जिसमें फाईल के अंदर रखे जाने वाले सभी दस्तावेजों का शीर्ष अंकित होगा एवं शीर्ष के दाहिने तरफ उसके संधारण का क्रमवार पृष्ठ संख्या अंकित किया जायेगा । इसप्रकार मनरेगा कर्मी केस रिकॉर्ड में संधारित किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में चेकिलिस्ट के माध्यम से अद्यतन स्थिति में रहेंगे कि कौन-कौन से दस्तावेज, फाईल के किस पृष्ट पर संधारित किये जा चुके है और कौन-कौन से बचे हुये हैं । चेकिलिस्ट का फॉर्मेट तैयार कर अन्लग्नक-॥ पर संलग्न किया गया।

2.4 वार्षिक कार्य योजना / शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट

मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक वितीय वर्ष में कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यों के लिये वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाता है जिसपर ग्राम सभा के अनुमोदनोपरांत प्रखंड / जिला स्तर के समक्ष उपस्थापित किया जाता है । उक्त कार्य जिसके लिए केस रिकार्ड खोली जा रही है, को चिन्हित (highlight) करते हुये अनुमोदित सूची की प्रति, ग्राम सभा के कार्यवाही की प्रति के साथ केस रिकॉर्ड में संलग्न किया जायेगा ।

2.5 तकनीकी प्राक्कलन और डिजाइन

प्रत्येक योजना/कार्य के लिए तकनीकी प्राक्कलन एवं डिजाईन तैयार करना अनिवार्य है जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाती है। प्रत्येक केस रिकॉर्ड में तकनीकी प्राक्कलन एवं डिजाईन संलग्न किया जायेगा । तकनीकी प्राक्कलन में निम्न अव्यय शामिल होंगे:

- (क) प्रतिवेदन का कभर पृष्ट: तकनीकी प्राक्कलन का कभर पृष्ट योजना/कार्य के अनुमानित लागत प्रतिवेदन, श्रम प्रतिवेदन, भौतिक प्रतिवेदन और कार्य पूर्णता हेतु अपेक्षित समय का सार होगा ।
- (ख) योजना रिपोर्ट: योजना रिपोर्ट कार्य की व्यवहार्यता रिपोर्ट है जो काम की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है तथा इसमें क्रियान्वयन की प्रक्रिया तथा समुदाय / व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए अपेक्षित लाभ का विवरण शामिल होता है।
- (ग) विस्तृत प्रतिवेदन: निर्धारित दर पर प्रत्येक वस्तु/मद का आकार, मात्रा एवं लागत से संबंधित विस्तृत विवरण और गणना शामिल होगी ।
- (घ) दर का विश्लेषण: दर का विश्लेषण निर्धारित schedule of rates (SoR) के आधार पर योजना/कार्य के प्रत्येक मद (श्रम/सामग्री) के लागत की गणना होती है । इसमें भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की राशि भी शामिल की जानी चाहिये ।
- (ङ) लीड और लिफ्ट स्टेटमेंट: लीड स्टेटमेंट प्रत्येक सामग्री की इकाई लागत को दर्शाता है जिसमें लीड, क्रय का स्रोत, मूल लागत, ढुलाई लागत और रॉयल्टी लागत शामिल होता है।
- (च) सामग्री स्टेटमेंट: सामग्री स्टेटमेंट में SoR के तहत अनुमोदित दर के आधार पर सामग्री के प्रकार एवं मात्रा का विवरण होता है जो योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है।
- (छ) श्रीमिक सार: श्रमिक सार, योजना / कार्य के कार्यान्वयन में लगने वाला आवश्यक मजदूरी का अनुमान है । यह योजना के लिये आवश्यक मानव दिवस की संख्या और मजदूरों की श्रेणियां यथा क्शल, अर्द्ध क्शल एवं अक्शल श्रम से संबंधित विवरण प्रदान करता है ।
- (ज) चित्र और डिजाइन: तकनीकी प्राक्कलन तैयार करने के पूर्व योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों (activities) के पैमाना की गणना करने के लिए योजना का डिजाईन तैयार किया जाना चाहिए । परिसम्पति की संरचनात्मक स्थिरता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न गतिविधियों के पैमाना को इंजीनियरिंग ड्राइंग में (ग्राफ के माध्यम से) बदला जाता है जिससे कार्यान्वयन एजेन्सी को कार्यान्वयन में मदद मिल सके ।
- (झ) **सर्वेक्षण डेटा**: तकनीकी प्राक्कलन को तैयार करने के लिए आवश्यक रुप से प्राथमिक और माध्यमिक डाटा एकत्र किया जाता है, जिसके आधार पर योजना की डिजाइन और ड्राइंग

तैयार की जाती है । तकनीकी प्राक्कलन तैयार करने के लिये की गई गणनाओं को प्रमाणित करने के लिए सर्वेक्षण डाटा को तकनीकी प्राक्कलन के साथ संलग्न किया जाना चाहिये । सर्वेक्षण के दौरान तैयार मानचित्र में परिसम्पत्ति के लोकेशन के अतिरिक्त आस-पास अथवा नज़दीक के संरचनाओं का लोकेशन भी इंगित किया जाना चाहिए ।

तकनीकी प्राक्कलन में योजना के नागरिक सूचना पट्ट की लागत भी शामिल होगी।

2.6 तकनीकी स्वीकृति:

तकनीकी स्वीकृति योजना/कार्य की अनुमानित लागत का मूल्यांकन और अनुमोदन होता है जिसमें श्रम और सामग्री मद में अनुमानित लागत शामिल होती है । तकनीकी पदाधिकारी यथा कनीय अभियंता, सहायक अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2.7 प्रशासनिक / वितीय स्वीकृति:

विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत किये गये वितीय प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना को प्रारम्भ करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है। प्रशासनिक स्वीकृति के लिए निम्नलिखित दस्तावेज केस रिकॉर्ड में संलग्न किया जाना चाहिए:-

- (क) ग्राम सभा के संकल्प की प्रति, जहां परियोजना को स्वीकृति दी गई है
- (ख) संबंधित पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत shelf of project की प्रति
- (ग) अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन की प्रति

2.8 अभिसरण का विवरण

योजना अंतर्गत सृजित परिसम्पत्ति के स्थायित्व को बढाने अथवा आजीविका को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनरेगा एवं अन्य विभागों अथवा योजनाओं के बीच अभिसरण के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इस स्थिति में अभिसरण से संबंधित सम्पूर्ण परियोजना प्रस्ताव जिसमें योजना अंतर्गत अन्य विभागों अथवा योजनाओं द्वारा क्रियान्वित उपकार्य (activities) एवं प्राप्त सहायता राशि इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो, से संबंधित दस्तावेज केस रिकॉर्ड में संलग्न किया जायेगा।

2.9 काम की मांग

मनरेगा अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार काम की मांग हेतु दो प्रकार के आवेदन प्रपत्र उपयोग किए जाते हैं । व्यक्तिगत परिवार को काम की मांग के लिये अलग आवेदन प्रपत्र एवं समूह में काम के मांग के लिये अलग प्रपत्र । व्यक्तिगत परिवारों के लिए आवेदन प्रपत्र अनुलग्नक-III(क) तथा समूह में काम के मांग के लिये प्रपत्र अनुलग्नक-III(ख) में संलग्न है । काम की मांग हेतु प्राप्त इन आवेदन प्रपत्रों को केस फ़ाइल में संधारित किया जायेगा ।

2.10 कार्य आवंटन

जॉबकाईधारियों द्वारा काम की मांग से संबंधित आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर कार्य का आवंटन करना अनिवार्य है । कार्य आवंटन से संबंधित प्रपत्र जिसमें योजना का विवरण यथा कार्य का नाम, कार्य स्थल, मानव दिवस की संख्या आदि, को केस रिकॉर्ड में संधारित किया जायेगा । कार्य आवंटन का प्रपत्र का प्रारूप अनुलग्नक-IV में संलग्न है ।

2.11 ई-मस्टर रॉल

मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु कार्य स्थल पर उचित सीरियल नंबर के साथ ई-मस्टर रॉल (e-MR) उपलब्ध होता है । कार्य स्थल पर मजदूरों के उपस्थिति के लिए कोई भी कच्चा मस्टर रॉल जो कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जारी एवं प्राधिकृत नहीं किया गया हो, का इस्तेमाल वर्जित है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित और प्रमाणित किये जाने के उपरांत कार्य के प्रत्येक मस्टर चक्र के लिये निर्गत ई-मस्टर रॉल की भरी हुई प्रतियाँ केस रिकॉर्ड में संधारित किया जायेगा ।

अर्ध-कुशल और कुशल मजदूरों की उपस्थिति पेपर मस्टर रॉल में दर्ज की जाती है। SoR के अनुसार सम्पादित किये गये काम की मापी के आधार पर अर्द्ध कुशल एवं कुशल मजदूरी की गणना की जाती है जिसका भ्गतान अलग से सामग्री मद से किया जाता है।

2.12 मापी पुस्तिका

कार्य के भौतिक मात्रा की गणना करने के लिए संबंधित तकनीकी पदाधिकारी द्वारा किये गये काम की मापी की जाती है। काम की मात्रा के आधार पर श्रम और सामग्री मद में हुये व्यय की गणना की जाती है। योजना के क्रियान्वयन के क्रम में तकनीकी पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक मस्टर अविध में किये गये काम की मापी (मस्टर रोल के बंद होने के 3 दिनों के भीतर) कर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मापी पुस्तिका (MB) में दर्ज किया जाता है। तकनीकी एवं प्रसाशनिक प्राक्कलन के अनुसार कार्य का आउटपुट एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये जिलों द्वारा विशेष मापदंडों के आधार पर तकनीकी मापी करानी चाहिये। मापी पुस्तिका के भरे हुए पृष्ठों की फोटोकॉपी / ई-एमबी की प्रति (एमआईएस से) को केस रिकॉर्ड में संधारित किया जायेगा।

2.13 सामग्री अधिप्राप्ति का दस्तावेज एवं उपयोग

योजना के तकनीकी प्राक्कलन में योजनांतर्गत आवश्यक सामग्री की मात्रा एवं लागत के अनुमान का उल्लेख होना चाहिए । बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 (BFR) के अनुरुप प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सामग्रियों की अधिप्राप्ति की जाएगी तथा सामग्री अधिप्राप्ति प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज केस रिकार्ड / कार्य फ़ाइल में रखा जाएगा । कोटेशन कॉल नोटिस, प्राप्त कोटेशन की प्रति, तुलनात्मक विवरण, दर के अनुमोदन, खरीद आदेश आदि । मापी पुस्तिका के

अनुसार किए गए काम की मात्रा के अनुसार सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त GST बिल के विरुद्ध किया जाएगा ।

2.14 Wage list

एक मस्टर चक्र के समापन के उपरांत मजदूरी का भुगतान करने हेतु किये गये कार्य की मापी के आधार पर Wage list उत्पन्न (generate) किया जाता है । प्रत्येक Wage list की प्रति को केस रिकार्ड / कार्य फ़ाइल में संधारित किया जायेगा ।

2.15 मजद्री और सामग्री भ्गतान से संबंधित आदेश

मापी पुस्तिका में किये गये कार्य की मापी के अनुसार Wage List एवं Material List उत्पन्न किया जाता है जिसके आधार पर क्रमशः मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया जाता है । मजदूरी/सामग्री भुगतान के पश्चात भुगतान आदेश को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाता है । कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित सभी भुगतान आदेश की प्रति को केस रिकॉर्ड में संधारित किया जायेगा । भुगतान आदेश का प्रपत्र अनुलग्नक-V पर संलग्न है ।

2.16 मजदूरी और सामग्री भुगतान से संबंधित FTOs

योजना अंतर्गत प्रत्येक मस्टर चक्र के अविध के समापन के उपरांत NeFMS/ eFMS द्वारा Fund Transfer Order/s (FTOs) के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया जाता है । योजना से संबंधित सभी FTOs की प्रतियां केस फाईल में संधारित की जायेंगी ।

2.17 सामग्री वाउचर और बिल

योजना के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं / वेंडर को भुगतान के लिए सामग्री बिल तैयार किया जाता है जिसमें उपयोग की गई सामग्री की कुल मात्रा, प्रित इकाई दर और कुल देय राशि का वर्णन होता है । सामग्री बिल तैयार करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं / वेंडर द्वारा सामग्री आपूर्ति से संबंधित वाउचर को प्रस्तुत किया जाता है । इन सभी वाउचर एवं भुगतान हेतु तैयार किये गये बिलों की प्रतियों को केस रिकॉर्ड में संधारित किया जायेगा।

2.18 भ्गतान किए गए रॉयल्टी

सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी रिसिप्ट की प्रतियां (जैसे रेत, पत्थर आदि संग्रह करने के लिए भुगतान किया गया स्थानीय राजस्व इत्यादि) को केस रिकॉर्ड में संलग्न किया जाएगा । सभी प्रकार के रॉयल्टी संबंधी लागत को योजना/कार्य के तकनीकी प्राक्कलन में सिम्मिलित किया जाता है ।

2.19 योजना का फोटोग्राफ

क्रियान्वित योजना के उचित जांच और सत्यापन के लिए योजना/कार्य का तीन चरणों में फोटोग्राफ लिया जाता है । पहली फोटोग्राफ कार्य प्रारम्भ के पूर्व, दूसरा कार्य के दौरान तथा अंतिम फोटोग्राफ कार्य समाप्ति के उपरांत ली जाती है । प्रत्येक फोटोग्राफ को किसी चिन्हित land mark से एक ही कोण एवं दिशा से लिया जाना चाहिए जिससे कार्य की प्रगति प्रदर्शित हो सके । प्रत्येक फोटोग्राफ को केस फाइल में संधारित किया जायेगा जिसपर उसके मुण की तिथि अंकित होनी चाहिये । फोटोग्राफ लेने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि योजना / कार्य के प्रारम्भ के पूर्व लगाया गया नागरिक सूचना पट्ट भी पहली फोटोग्राफ में शामिल हो ।

2.20 कार्य समापन प्रमाण पत्र

योजना के सामप्ति के उपरांत पंचायत रोजगार सेवक द्वारा तकनीकी पदाधिकारी से सत्यापण कराते हुये कार्य समापन प्रमाण पत्र कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा । ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की स्थिति में कार्यक्रम पदाधिकारी इस प्रमाणपत्र को केस रिकॉर्ड में संधारण हेतु पं0रो0से0 को, पंचायत समिति की योजनाओं की स्थिति में संबंधित पं0रो0से0 एवं पंचायत समिति (दोनो) को अग्रसारित करेंगे । जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की स्थिति में जिला परिषद द्वारा अपने यहाँ केस रिकॉर्ड में संधारित करते हुये इसकी प्रति संबंधित पं0रो0से0 एवं कार्यक्रम पदा0 को अग्रसारित करेंगे ।

कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-VI में संलग्न है । कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र में योजना संबंधी मूलभूत जानकारी, योजना कोड, कार्य प्रारंभ एवं समापन की तिथि मजदूरी एवं सामग्री मद में ह्ये वास्तविक व्यय, सामाजिक अंकेक्षण की तिथि इत्यादि उल्लेखित होगा ।

2.21 Muster Roll Movement पर्ची

मस्टर रोल के बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है । Muster Roll Movement पर्ची द्वारा मस्टर रोल को उत्पन्न करने की प्रक्रिया से लेकर उसके अंतिम भुगतान तक की प्रक्रिया के साथ ही संबंधी कर्मी/पदाधिकारी द्वारा उनके दायित्वों के विरुद्ध ससमय/विलम्ब से की गई कार्रवाई का निरिक्षण किया जाता है तथा विलम्ब से किये गये भुगतान (यदि कोई हो) हेतु जवाबदेही निर्धारित किया जाता है । Muster Roll Movement पर्ची को केस रिकॉर्ड में संधारित किया जायेगा जिसका प्रारूप अनुलग्नक-VII में संलग्न है ।

2.22 geo-tagged फोटोग्राफ

मनरेगा अंतर्गत सृजित सभी परिसंपत्तियों का त्रिस्तरीय geo-tagging करना अनिवार्य है । तीनों स्तर का एक-एक geo-tagged फोटोग्राफ मुद्रित करा करकेस रिकार्ड में संधारित किया जाएगा । Geo-tagged फोटोग्राफ को GAS log-in से प्रिन्ट कराया जा सकता है ।

2.23 सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन

मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। क्रियान्वित योजना का यदि सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है, उसके रिपोर्ट की प्रति केस रिकार्ड में संधारित किया जायेगा।

2.24 विलम्ब क्षतिपूर्ति भ्गतान से संबंधित FTOs

मनरेगा अंतर्गत मस्टर चक्र अविध के पूर्ण होने के उपरांत 15 दिनों के अंदर जॉबकाईधारियों द्वारा किये गये कार्य के विरुद्ध उनके मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है । किसी कारण यदि यह भुगतान विलम्ब से होता है तो मजदूरों को विलम्ब क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है । विलम्ब क्षतिपूर्ति भुगतान से संबंधित सभी FTOs की प्रति केस रिकॉर्ड में संधारित किया जाता है ।

2.25 केस रिकॉर्ड / कार्य फ़ाइलके संधारण का दायित्व


मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वित प्रत्येक योजना चाहे वह किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी (ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद) द्वारा क्रियान्वित हो, के लिये एक पृथक केस रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा । ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में केस रिकॉर्ड का संधारण पंचायत स्तर पर किया जायेगा तथा केस रिकॉर्ड तैयार करने एवं उसमें सभी अभिलेखों को संधारित करने का दायित्व संबंधित पंचायत रोजगार सेवक की होगी । पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में केस रिकॉर्ड का संधारण संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी के कार्यालय में किया जायेगा । पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के केस रिकॉर्ड का संधारण किसी भी परिस्थित में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा नहीं किया जायेगा । इन एजेन्सियों के सक्षम प्राधिकार द्वारा केस रिकॉर्ड संधारण हेत् कर्मी को नामित किया जायेगा ।

उल्लेखित प्रावधानों के अनुरुप विहित प्रपत्रों में प्रखंड के प्रत्येक योजना हेतु केस रिकॉर्ड संधारित कराने का दायित्व संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी । जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त / निदेशक, जि.ग्रा.वि.अ. एवं अन्य जिला / राज्य स्तरीय पदाधिकारी अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत संधारित योजनाओं के केस रिकॉर्ड की उपलब्धता एवं प्रावधानों के अनुरुप अभिलेखों के संधारण की समीक्षा/जाँच करेंगे ।


2.26 केस रिकॉर्ड के संधारण हेतु व्यय की राशि

केस रिकॉर्ड के संधारण यथा कभर पृष्ट का मुद्रण, दस्तावेजों का प्रिन्ट, फोटोग्राफ्स का प्रिन्ट इत्यादि में हुये सभी प्रकार के व्यय का भुगतान प्रखंड द्वारा आकस्मिकता मद से किया जायेगा । जिला स्तर से एक केस रिकॉर्ड को तैयार करने एवं सभी दस्तावेजों को संधारित करने में अनुमान्य लागत की गणना कर एक सम्भावित रेन्ज प्रखंडों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

.....



महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना



14. सामाजिक अंकेक्षण कराया गया है: (हॉ/नहीं)

.....

चेक लिस्ट

क्रम सं0	चेक लिस्ट	संधारित (हॉ/नहीं)	यदि हॉ तो अभिलेख में पेज सं0
1.	अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की प्रति (क्रम संख्या का उल्लेख)		
2.	कार्य का तकनीकी प्राक्कलन एवं डिजाइन		
3.	तकनीकी स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज की प्रति		
4.	प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज की प्रति		
5.	अभिसरण की विवरणी (यदि लागू हो)		
6.	कार्य की मॉग संबंधित आवेदन		
7.	मजदूरों की कार्य आवंटन से संबंधित दस्तावेज की प्रति		
8.	भरे गये मस्टर रॉल की प्रति		
9.	मापी पुस्तिका की प्रति		
10.	सामग्री के खरीद हेतु Quotation की प्रति, तुलनात्मक विवरणी तथा		
	सामग्री आपूर्ति संबंधित आदेश की प्रति		
11.	वेज लिस्ट		
12.	मजदूरी / सामग्री भुगतान से संबंधित आदेश		
13.	मजदूरी एवं सामग्री भुगतान हेतु जनित FTO की प्रति		
14.	सामग्री का भाउचर एवं बिल		
15.	रॉयल्टी एवं टैक्स भुगतान से संबंधित दस्तावेज एवं पावती की प्रति		
16.	कार्य के तीन चरणों का फोटोग्राफ (कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्य के दौरान		
	तथा कार्य पूर्णता के उपरांत)		
17.	कार्य पूर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति		
18.	मस्टर रॉल Movement Slip		
19.	परिसम्पतियों का जियो टैंगिग से संबंधित फोटोग्राफ		
20.	सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति (यदि कराया गया हो)		
21.	विलम्ब क्षतिपूर्ति भुगतान से संबंधित FTO की प्रति		

कार्यालय प्रति

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत काम की मांग के लिये आवेदन समूह के तरफ से

	सेवा में,								D i .	
	पं0 रो0 से0 / कार्यक्रम पदा0								दिनाक	
	गाँव का नाम:						पंचायत का नाम:			
	प्रखंड का नाम:						जिला:			
	महोदय, मनरेगा योजनांतर्गत मुझे/हर्ग	में निम्नानुसार अकुशल रो	जिगार उपलब्ध करा	ने की कृपा	की जाए	! । हम <i>ः</i>	सभी निम्नानुसारः	जॉबकार्डधारियों के	समूह में काम करने :	के इच्छुक हैं ।
				दिनों की	अवधि		बैंक खाते का विवरण			
क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले जॉब- कार्डधारियों का नाम	पिता/पति का नाम	जॉबकार्ड सं0	सं0 जिसके लिये रोजगार चाहिये	दिनांक से	दिनांक तक	आवेदक का नाम (खाता के अनुसार अंग्रेजी में)	IFSC	खाता सं0	आवेदक का हस्ताक्षर/अं गूठा का निशान
1										
2										
3										
4 5										
<u></u>	 क्रम सं0-01 पर दर्ज आवेदक रोजगार मांगने का आवेदन								से	

हस्ताक्षर पंचायत सचिव/पं0रो0से0

आवेदक की प्रति

				दिनों की	अव	वधि		बैंक खाते का ी	विवरण	
क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले श्रमिक का नाम	पिता/पति का नाम	जॉबकार्ड सं0	सं0 जिसके लिये रोजगार चाहिये	दिनांक से	दिनांक तक	आवेदक का नाम (खाता के अनुसार अंग्रेजी में)	IFSC	खाता सं0	आवेदक का हस्ताक्षर/अं गूठा का निशान
1										
2										
3										
4										
5										

क्रम सं0-01 पर दर्ज आवेदक श्री श्रीमति	सहित अन्य	आवेदकों का मनरेगा	। योजनांतर्गत ग्राम पंचार	ातसे
रोजगार मांगने का आवेदन पत्र दिनांक	को प्राप्त ह्आ है ।			

हस्ताक्षर वार्ड सदस्य, वार्ड सं0....../ पं0रो0से0/पं0 सचिव

कार्यालय प्रति

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत काम की मांग के लिये आवेदन व्यक्तिगत/ परिवार के तरफ से

सेवा में,										
	 से0 / कार्यक्रम पदा0								दिनांक	
गाँव का	नाम:						पंचायत का नाम:			
प्रखंड क	ग नाम:						जिला:			
महोदय, मै,										
				दिनों की सं0 जिसके लिये रोजगार चाहिये	अवधि		बैंक खाते का विवरण			
	र चाहने वाले जॉब- /परिवार के सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	जॉबकार्ड सं0		दिनांक से	दिनांक तक	आवेदक का नाम (खाता के अनुसार अंग्रेजी में)	IFSC	खाता सं0	आवेदक का हस्ताक्षर/अं गूठा का निशान
	क्रम सं0-01 पर दर्ज आवेदक श्री श्रीमति सहित अन्य सहित अन्य कार्वदकों का मनरेगा योजनांतर्गत ग्राम पंचायत से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र वार्ड सदस्य श्री/श्रीमति									

हस्ताक्षर पंचायत सचिव/पं0रो0से0

आवेदक की प्रति

				दिनों की	अव	वधि		बैंक खाते का 1	वेवरण	
क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले जॉब- कार्डधारियों का नाम	पिता/पति का नाम	जॉबकार्ड सं0	सं0 जिसके लिये रोजगार चाहिये	दिनांक से	दिनांक तक	आवेदक का नाम (खाता के अनुसार अंग्रेजी में)	IFSC	खाता सं0	आवेदक का हस्ताक्षर/अं गूठा का निशान
1										
2										
3										
4										
5										

	· (`	· · ·	•					· ·			u .
उक्त	जाब-कार्ड	धारक/धारको	का मनर	॥ योजनातगैत	ंग्राम पच	त र	र राजगार	र मागन व	का आवदन	पत्र दिनाक	े का	प्राप्त ह3	भाहें।

हस्ताक्षर वार्ड सदस्य, वार्ड सं0....../ पं0रो0से0/पं0 सचिव

	कार्य आवंटन	प्रपत्र	
पत्र सं0		दिनांव	ਨ
सेवा में,			
श्री/श्रीमति	पंचायत		जॉबकार्ड सं0
ग्राम			
ત્રાન	ячэ		10IMI
विषय:- मनरेगा अंतर्गत कार्य आवंटन	के संबंध में		
मनरेगा अंतर्ग	त काम की मांग से	संबंधित आपके आवे	ोदन दिनांक
के संबंध आपको महा	त्मा गांधी नरेगा आ	वेनियम की अनुसूची	r-II के अनुच्छेद-11 के
तहत एतद्वारा			
		(योजना का	नाम) पर काम करने के
लिये उपस्थित होने के लिये अधिसूचि			
(क) को		ाख, अग्रिम आवेदन	के मामले में), अथवा
(ख) आवेदन की तारिख से 15	दिनों के भीतर		
(जो लागू ना हो उसे काट दें)			
योजना स्थल का विवरण :-			
स्थल-		ग्राम-	
पंचायत-		ਸ਼खਂਤ-	
योजना की कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	न :-		
सूचित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति वे है तो आप मनरेगा की धारा 9 के अन् के पात्र नहीं होंगे, परंतु आप किसी भी	ुसार तीन माह की 3	नवधि के लिये बेरोज	
			हस्ताक्षर
		(कार्यव्र	नम पदा0/पं0रो0से0)
पत्र सं0		`	_, म
प्रतिलिपि :- ग्राम पंचायत / पं0रो0से0 प्रेषित ।	, पंचायत	के सूचनार्थ	एवं आवश्यक कारावाई हेतु
			हस्ताक्षर

भुगतान आदेश पत्र									
पत्र सं0			दिनांक						
योजना सं0 :									
योजना का नाम:									
के पृष्ट संख्या				ग्ररा मापी पुस्त सं0					
योजना अंतर्गत भुगतान विव	रण :- प्राक्क	लित राशि-	मापी प	नुस्त की कुल राशि-					
	मस्टर	र रॉल की कुल राशि-	सामग्री	की कुल राशि-					
पूर्व में भुगतान की गई राशि:- मजदूरी सामग्री सामग्री-									
भुगतेय योग्य राशि : अन्	हुशल मजदूरी-	कुशल मजदूरी-							
सा	मग्री-		रॉयल्टी-						
योजना अंतर्गत बकाये मजदू	ो/सामग्री की रा	शि का विवरण:-							
मस्टर रॉल अवधि	मस्ट	र रॉल सं0	कुल कार्य दिवस	कुल राशि					
तक	अकुशल-								
तक	कुशल-								
बिल नं0 एवं तिथि भें	डर का नाम	कुल बिल राशि	Material list no.	भुगतेय राशि					
 Wage List no.:- (1) अकुशल म अतः पंचाय			 कुशल/अर्द्ध कुशल मज ता है कि योजना का अ						
प्रखंड कार्यालय में जमा करते सुनिश्चित किया जाय ।	हुये FTO के र	माध्यम से उपरोक्त व	बकाये मजदूरी एवं सामग्र	ी का भुगतान ससमय					

मुखिया / ग्राम पंचायत

	कार्य पू	र्णता प्रमाण पत्र	
प्रमाण प	ग्त्र सं0		दिनांक
सेवा में,	मुखिया / कार्यक्रम पदाधिकारी		
	ग्राम पंचायत	_ਸ਼ਘਂਤ	_जिला:
विषय :	मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वित योजना		ण पत्र समर्पित करने के संबंध में ।
महाशय,			र्णता प्रमाण पत्र समर्पित करता हूं ।
कार्य आईडी:		•	
कार्य का नाम:			
ग्राम :		ग्राम पंचायत:	
कार्य स्थल (खात	ा/खेसरा सं0 आदि):		
क्रियान्वयन एजेंस	गी:	कार्यादेश सं0 एवं	तिथि:
कार्य प्रारंभ की तिथि:		काम समापन की	तिथि:
उपयोग किये गये	मस्टर रॉल की आईडी:		
व्यय:-			
मजदूरी:	सामग्री:		कुल:
सामाजिक अंकेक्ष	ण की तिथि:		
			(हस्ताक्षर) तकनीकी पदाधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है)
(हस्ताक्षर)			
पंचायत रोजगार	सेवक		
	<u>कार्यालय कार्यक्रम</u>	पदाधिकारी / जिला परिष	 द
	 रोजगार सेवक/ पंचायत समिति/ जि न करेंगे ।	·	इस प्रमाणपत्र को केस

(कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला परिषद)

मस्टर रॉल MOVEMENT SLIP का प्रारूप

कार्य	आईडी:	
कार्य	का नामः	
ग्राम	पंचायतः	ਸखंड:

क्र.	EMUSTER रॉल नम्बर	दायित्व निर्वहन की तिथि एवं संबंधित कर्मी/पदा0 का हस्ताक्षर													
		EMR निर्गत करना		MR बंद करना		कार्य की मापी		MB सत्यापन		उपस्थिति एवं मापी की MIS ENTRY तथा WAGE LIST निर्गत करना		FTO 1st signatory		FTO 2ND SIGNATORY	
		तिथि	हस्ताक्षर	तिथि	हस्ताक्षर	तिथि	हस्ताक्षर	तिथि	हस्ताक्षर	तिथि	हस्ताक्षर	तिथि	हस्ताक्षर	तिथि	हस्ताक्षर
संबंधित कर्मी/पदाO का हस्ताक्षर						•									
कर्मी/पदाO का पद एवं नाम															